

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 489-एक/2016 - विरुद्ध आदेश दिनांक 21-01-2016 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ - प्रकरण क्रमांक 74/2013-14 अपील

1- कैलाशी वाई पत्नि स्व०श्रीकृष्ण माली

2- लीलाधर पुत्र श्रीकृष्ण माली

3- धनराज पुत्र श्रीकृष्ण माली

तीनों निवासी बार्ड 4 खटीक मोहल्ला

कस्वा बड़ौदा तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर

--आवेदकगण

विरुद्ध

अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल रजाक,

जाति मुसलमान निवासी पठान रोड

कस्वा बड़ौदा जिला श्योपुर

-- अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री वीर सिंह जादौन)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 17-5-2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर कलॉ द्वारा प्रकरण क्रमांक 74/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-01-2016 के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर श्योपुर को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि बड़ौदा स्थित भूमि सर्वे नंबर 3517/1 रकबा 8 वीघा 8 विसवा एवं 2518/2 क रकबा 3 वि०





तथा सर्वे क्रमांक 3611/2 रकबा 2 विसवा कुल किता 3 कुल रकबा 8 वीघा 13 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पटवारी कागजात में आवेदकगण की है किन्तु तत्कालीन पटवारी ने बिना किसी आदेश के वादग्रस्त भूमि अनावेदक के नाम दर्ज कर दी, इसलिये इन्द्राज दुरुस्त कराया जाय। कलेक्टर श्योपुर द्वारा आवेदन तहसीलदार बड़ौदा को प्रेषित किया। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 2/2013-14 अ-6-अ पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-8-14 पारित करके अनावेदक के स्थान पर वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के नाम खसरा प्रविष्टि दुरुस्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 74/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-1-2016 से अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा करते हुये अपील स्वीकार की गई एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 30-8-14 निरस्त किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक द्वारा तामील लेने से इंकार करने के कारण उसके विरुद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि खसरा संबत 2041 से संबत 2060 में वादग्रस्त भूमि श्रीकृष्ण पुत्र घासी माली के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज रही है एवं खसरा संबत 2061 में यह भूमि अनावेदक के नाम पर अंकित है। तहसीलदार बड़ौदा के प्रकरण क्रमांक 2/13-14 में पारित आदेश



दिनांक 8-8-14 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने आदेश में इस प्रकार अंकन किया है :-

“अब्दुल रफीक पुत्र अब्दुल रज्जाक जाति पठान का नाम दर्ज किया गया है तथा अनावेदक द्वारा उक्त विवादित सर्वे नंबर के सम्बन्ध में कोई स्वत्व सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से प्रविष्टि फर्जी होना सिद्ध होता है।”

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 74/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-1-2016 में यह निष्कर्ष दिया है :-

“रिस्पा0 द्वारा आवेदन पत्र धारा-5 अवधि विधान के जवाब में उल्लेख किया है कि अपील प्रकरण क्रमांक 74/13-14 में दोनों पक्षों के लेखी तर्क पेश किया गया है परन्तु प्रकरण क्रमांक 27/92-93 अ 46 में पारित आदेश दिनांक 20-1-94 का ज्ञान अपीलांत को दिनांक 20-1-94 से ही है क्योंकि मामले का निराकरण विधिवत् श्रीकृष्ण माली के कथन एवं उसकी सहमति के आधार पर किया गया है।”

इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक का अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 8-8-14 को निरस्त किया है।

अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदक द्वारा श्रीकृष्ण माली पर दायर किये गये संहिता की धारा 168, 169, 190 के दावे एवं श्रीकृष्ण माली द्वारा दावे की स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण क्रमांक 27/92-93 अ 46 में पारित आदेश दिनांक 20-1-94 से अनावेदक को वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी घोषित किया गया है एवं यह दावा इस प्रकार रहा है -



“ अनावेदक द्वारा मौखिक पट्टे पर सन 1980 में रुपये 17,000/- रुपये नकदी प्राप्त कर तीन साल के लिये अषाढ़ माह में प्रार्थी को जुताई थी ” और इसी दावे को मृतक श्रीकृष्ण माली ने स्वीकार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मामला सीधा-सीधा भूमि विक्रय का है एवं पंजीयन शुल्क बचाने के उद्देश्य से अनावेदक एवं भूमिस्वामी ने धारा 168, 168, 190 के दावे की स्वीकारोक्ति देकर तत्कालीन नायब तहसीलदार से मिलकर नामान्तरण आदेश दिनांक 20.1.1994 प्राप्त किया है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दुयह भी है कि क्या कोई भी कृषक तीन वर्ष के लिये उपकृषकत्व पर भूमि अन्य को उप पट्टे पर दे सकता है।

भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)- धारा 168 - पट्टा अवधि - कोई भी भूमिस्वामी उसके खाते में समाविष्ट किसी भूमि को तीन वर्ष की किसी कमवर्ती कालावधि के दौरान एक वर्ष से अधिक समय के लिये पट्टे पर नहीं दे सकता। भूमि 7-8 वर्ष तक लगातार कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दिये जाने से ऐसे पट्टेदार को मौरुषी कृषक एवं भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। (बद्रीवाई विरुद्ध दौलतराम 2010 रा0नि0 250 से अनुसरित)

और जब दिया गया मौखिक पट्टा संहिता का धारा 168 के प्रावधानों के विपरीत है तब ऐसा पट्टा विधि के प्रभाव से ही शून्यवत् है भले ही पट्टादाता पट्टा देने की स्वीकारोक्ति दे, पट्टा प्रभावशील नहीं माना जा सकता और पट्टे के आधार पर पट्टाग्रहीता को संहिता की धारा 168, 168, 190 के अधीन राजस्व अधिकारी द्वारा भूमिस्वामी घोषित करने वाला आदेश विधि के प्रभाव से अकृत एवं शून्य होने के कारण अप्रभावी रहेगा।



5/ नायव तहसीलदार टप्पा बड़ोदा ने प्रकरण क्रमांक 27/92-93 अ 46 में पारित आदेश दिनांक 20-1-94 से अनावेदक को वादग्रस्त भूमि पर मौरुषी कृषक घोषित करके भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होना मानते हुये नामान्तरण किया है। जबकि संहिता की धारा 168, 168, 190 के अंतर्गत वाद विचारित करने की शक्तियाँ तहसीलदार/नायव तहसीलदार को नहीं है। रामसिंह ठाकुर विरुद्ध नारायण 2002 राजस्व निर्णय 405 (उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि भूमिस्वामी द्वारा धारा 168 के उपबंधों के उल्लंघन में भूमि पट्टे पर दी जाने और मौरुषी कृषक की प्रास्थिति प्राप्त होने की घोषणा केवल सिविल न्यायालय से कराई जा सकती है। इस हेतु राजस्व न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में नायव तहसीलदार टप्पा बड़ोदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/92-93 अ 46 में पारित आदेश दिनांक 20-1-94 विधि के प्रभाव से अकृत एवं शून्यवत् होने से अप्रभावकारी रहा है।



6/ प्रकरण में विचार योग्य है कि क्या तहसीलदार बड़ोदा ने प्रकरण क्रमांक 2/13-14 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 30-8-14 से खसरे में अनावेदक के नाम की अधिकारविहीन की गई प्रविष्टि को निरस्त करने में भूल की है ? जब उपरोक्त पद क्रमांक 4 एवं 5 में की गई विवेचना से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि नायव तहसीलदार टप्पा बड़ोदा का प्रकरण क्रमांक 27/92-93 अ 46 में पारित आदेश दिनांक 20-1-94 विधि के प्रभाव से अकृत एवं शून्यवत् होने से अप्रभावकारी है एवं अनावेदक के नाम की वादग्रस्त भूमि के खसरो में की गई प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण आधारों पर आधारित है - तहसीलदार बड़ोदा ने आदेश दिनांक 30-8-14 पारित करके वादग्रस्त भूमि के खसरो में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि हटाकर मृतक श्रीकृष्ण के नाम की भूमि पर उसके वारिसान के नाम इंद्राज





करने में त्रुटि नहीं की है इसके विपरीत अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ने वास्तविकता के विपरीत जाकर प्रकरण क्रमांक 74/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-1-2016 से तहसीलदार बड़ौदा के आदेश दिनांक 30-8-14 को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-1-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर कलॉ द्वारा प्रकरण क्रमांक 74/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-01-2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार बड़ौदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/13-14 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 30-8-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।



(एम0क0सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर